दिनांक 09.04.2026

अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण अशोक व पूरण मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त पक्ष ने अपर लोक अभियोजक द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.2026 को जवाब पेश नहीं करना चाहा, सीधे बहस करने की अनुमति चाही। अनुमति दी गई।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस आशय का प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था कि प्रस्तुत प्रकरण में मृतक सोहनलाल की मृत्यु के संबंध में अंतिम राय हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के अभाव में नहीं दी जा सकती है। उक्त रिपोर्ट थाना से मंगवाई जाकर न्यायालय में पेश की जा रही है जिसे रिकॉर्ड पर लिये जाने और इस रिपोर्ट तथा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु के संबंध में अंतिम राय प्रदान करने हेतु पूर्व में परीक्षित चिकित्सक को धारा 311 सीआरपीसी के तहत तलब किये जाने का निवेदन किया।

अपर सेशन न्यायाधीश
फास्ट ट्रैक सं०2, बून्दी (राज०)

अधिवक्ता अभियुक्त पक्ष ने जाहिर किया कि ये प्रार्थना पत्र विलंब से पेश किया गया है एवं प्रस्तुत रिपोर्ट की सुसंगतता भी स्पस्ट नही है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की ओर से किये गये कथनों पर विचार किया गया। प्रस्तुत मामला धारा 304 भा.द.सं. आपराधिक मानव वध के अपराध से संबंधित है। गवाह पीड 08 डॉ अनिल अरोडा ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मृत्यु के बारे में अंतिम राय एफएसएल और हिस्टौपैथोलॉजी रिपोर्ट आने के बाद दिया जाना संभव है। ऐसे में न्यायालय के समक्ष अब तक पीडित व्यक्ति के मृत्यु के कारणों के संबंध में विशेषज्ञ की राय स्पष्ट नहीं हो पाई है। अतः प्रस्तुत हिस्टौपैथोलॉजी रिपोर्ट एक महत्तवपूर्ण दस्तावेज है जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। चूंकि इस रिपोर्ट के संबंध में डॉ अनिल अरोडा अथवा पोस्टमार्टम बोर्ड के अन्य चिकित्सक द्वारा ही कोई राय दी जा सकती है। ऐसे में न्यायालय प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डॉ अनिल अरोडा को पीड 08 को हिस्टौपैथोलॉजी रिपोर्ट के संबंध में तथा मृतक सोहन की मृत्यु के संबंध में अंतिम राय प्रदान करने हेतु पुनः साक्ष्य तलब करना उचित पाता है। गवाह का सम्मन जारी हो। प्रार्थना पत्र इस प्रकार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 22.04.2026 को पेश हो।

अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम सं०2, बून्दी (राज०)